प्रपत्र– 23

परियोजना का नामः–

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम लीती (डांगती)
तहसील का नाम कपकोट जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **बागेश्वर** के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्राम शामा नानकुरा डांगती परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि 00 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.990 हे0 वन पंचायत भूमि 3.870 हे0) अर्थात कुल 4.860 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 कपकोट विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लीती (डांगती) द्वारा दिनांक 25/08/15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम .. लीती (डांगती) के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि **लो0नि0वि0 कपकोट** प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0 / –
ग्राम सचिव

[signature] 10/09/15
ग्राम पंचायत लीती
वि0 ख0 कपकोट (बागेश्वर)

ह0 / –
ग्राम प्रधान

शेर सिंह दाइया / लीती डांगती

(1) दलीप सिंह कोरंगा पूर्व प्रधान लीती – [signature]

(2) शेर सिंह

सदस्या भागीरथी देवी
क्षेत्र पचायत लीती (हाम्टीकापडी) 10-9
वि0ख0 कपकोट जनपद–बागेश्वर

शेर सिंह

प्रपत्र– 23

परियोजना का नामः– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत कपकोट शामा मोटर मार्ग से ज्ञानधुरा होते हुए डांगती तक मोटर मार्ग का निर्माण (05 कि० मी०).

दिनांक 25/08/15 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत लीति (तोक - डांगती)

कमाक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	प्रताप सिंह S/O श्री हरसिंह	[illegible]
2	प्रवीनसिंह S/ रामसिंह	प्रवीनसिंह
3	पूरनसिंह S/O रामसिंह	[illegible]
4	पानसिंह S/O स्व. उमेदसिंह	पानसिंह
5	[illegible] S/ [illegible]	[illegible]
6	चम्पा देवी W/O हरसिंह	चम्पा देवी
7	राधा देवी W/O मोहन सिंह	राधा
8	राधा देवी W/O उम्मेदराम	राधा देवी
9	पार्वती देवी W/O रमेश सिंह	पार्वती देवी
10	देबुली देवी W/O गोपल सिंह	देबुली देवी

सदस्या भागीरथी देवी 10-9-15
क्षेत्र पंचायत लीती (हाम्टीकोली)
वि०ख० कपकोट जनपद–बागेश्वर।

[signature] 10/9/15
प्रधान
ग्राम पंचायत लीती
वि० ख० कपकोट (बागेश्वर)

ह० / –
ग्राम प्रधान

2 24 1

वन पंचायत लीती की बैठक कार्यवाही

दिनांक 31/8/2015 को वन पंचायत पंचायतघर की बैठक हुई जिसमें .... गानघुरा छेतेड्ये डांगती तक 6 किमी मोटर मार्ग तक

मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्त्वपूर्ण है. अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक पति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को कार्यवाही हेतु भेजा जाये।

ह0 गोविन्दसिंह
सरपंच
सरपंच
वन पंचायत लीती
पो० लीती
जनपद–बागेश्वर

दिनांक 31/8/2015
स्थानः पंचायतघर लीती

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

गोविन्दसिंह
सरपंच
सरपंच
वन पंचायत
पो० लीती
जनपद–बागेश्वर

उपस्थित सदस्य वन पंचायत।

(1) धना देवी — धना देवी
(2) शेर राम — [signature]
(3) गोविंद सिंह — गोविन्दसिंह
(4) दानुली देवी — दानुली देवी
(5) दिवान सिंह — दिवानसिंह
(6) हर सिंह — हरसिंह
7 चतुरा देवी — चतुरा देवी

[signature] 10/09/15
प्रधान
ग्राम पंचायत लीती
वि0 ख० कपकोट (बागेश्वर)

सदस्या भागीरथी देवी 10-9-
क्षेत्र पंचायत लीती (हाम्टीकापडी)
वि0ख0 कपकोट जनपद–बागेश्वर

2.24.1

वन पचायत नामी पन्याली की बैठक कार्यवाही

दिनांक 2/9/15 को वन पंचायत नामी पन्याली की बैठक हुई जिसमें .... स्यान्हुरा होते हुए डागती तक मोटर मार्ग 6 किमी. मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है जिसमें उक्त सम्बन्ध मे ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण मे आने वाली वन पचायत भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० कपकोट को कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

ह० कल्याण सिंह

सरपंच

सरपंच वन पचायत नामी पन्याली पो०, वि० ख० पन्याली जनपद बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

दिनांक :—

स्थानः—

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

सरपंच कल्याण सिंह

सरपंच वन पचायत नामी पन्याली पो०, वि० ख० पन्याली जनपद बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

(1) नरमल सिंह S/o रतन सिंह — नरमल सिंह
2- मधन सिंह S/o गोपाल सिंह — मदन सिंह
3- खीम सिंह S/o दीवान सिंह — खीम सिंह
4- हीरादेवी W/o पान सिंह — हीरा देवी
5- जयन्ती देवी W/o प्रवीन सिंह — जयन्ती देवी
6- हीरा देवी W/o कुन्दन सिंह — हीरादेवी
7- राम सिंह S/o रतन सिंह — रामसिंह

परियोजना का नामः– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा कपकोट के कपकोट शामा तोक
मोटर मार्ग से ज्ञानधुरा डागती तक मोटर मार्ग का विस्तार (05 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बड़ी पन्याली
तहसील का नाम कपकोट, जिला **बागेश्वर**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **बागेश्वर** के अन्तर्गत शामा ज्ञानधुरा से डागती तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि 0.0 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.990 हे0 वन पंचायत भूमि 3.870 हे0) अर्थात कुल 4.860 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 कपकोट विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरग के विषय में ग्राम पंचायत बड़ी पन्याली द्वारा दिनांक 25/08/15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पं० बड़ी पन्याली के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि, **लो0नि0वि0 कपकोट** प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0 / –
14/09/15
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र शा.भ.
वि0ख0–कपकोट जिला–बागेश्वर

ह0 / –
ग्राम प्रधान
05/09/015
प्रधान
ग्राम पंचायत बड़ी पन्याली
वि0ख0 कपकोट जिला–बागेश्वर

प्रपत्र-- 23

परियोजना का नामः--माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा कपकोट के कपकोट शामा लेजम मोटर मार्ग से शामा ज्ञानधुरा से होते हुए डंगती तक मोटर मार्ग का विस्तार (05 कि०मी०)

दिनांक 25/08/2015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बड़ी पन्याली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1-	पार्वती देवी w/o रमेश सिंह	पार्वती देवी
2-	तारा सिंह S/o विजय सिंह (उपप्रधान)	[illegible]
3-	दीपा देवी w/o स्व हरीश राम	दीपा देवी
4-	भादोराम S/o केशर राम	भादोराम
5-	कुन्दन सिंह S/o प्रताप सिंह	कुन्दन सिंह
6-	धनुली देवी w/o राजेन्द्र सिंह	धनुली देवी
7-	जमुनादेवी w/o राम सिंह	जमुना देवी

ह0/ [signature] 05/09/015
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत बड़ी पन्याली
वि०खं० कपकोट जिला--बागेश्वर

2.24.1

वन पंचायत बड़ी पन्याली की बैठक कार्यवाही

दिनांक 21/9/13 को वन पंचायत बड़ी पन्याली की बैठक हुई जिसमें .... ज्ञान घूरा होते हुए डांगती तक 6 किमी मोटर मार्ग

मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एव वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण मे आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

ह0

सरपंच

दिनांक :--

स्थान:--

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपस्थित सदस्य वन पंचायत

सरपंच

सरपंच [signature]
वन पंचायत बड़ी पन्याली
पो0, वि0 ख0 पन्याली
जनपद बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

1 श्री त्रिलोक सिंह S/o [illegible] — त्रिलोक सिंह
2- गोपुली देवी W/o [illegible] — गोपुली देवी
3- तारा देवी W/o गोविन्द — तारा देवी
4- भूपाल सिंह S/o [illegible] — भूपेन्द्र सिंह
5 उमा देवी W/o मोहन राम — उमादेवी
6- राजेन्द्र सिंह S/o [illegible] सिंह — राजेन्द्र सिंह
7- माधो राम S/o केशा राम — माधोराम

प्रपत्र– 23.2

परियोजना का नामः–

कार्यालय उप जिलाधिकारी ....कपकोट...
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ...कपकोट

उपखण्ड **कपकोट** परिक्षेत्र के अन्तर्गत ....गाजीधूरा होते हुए डागती तक 6 किमी मोटर मार्ग निर्माण.. (आरक्षित वन भूमि ...00.. हे0 सिविल एवं सोयम वनभूमि ..0.990.. हे0 वन पंचायत भूमि ..3.870... हे0 , अर्थात कुल 4.860.. हे0 वन भूमि) का **लोक निर्माण विभाग कपकोट** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ..कपकोट ......) की दिनांक.......................... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील...कपकोट...) की दिनांक ...15/09/15.......को सम्पन्न बैठककी कार्यवाही का विवरणः--

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री.................................. उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री. कैलाश टोलिया.. उपजिलाधिकारी .... अध्यक्ष
2– श्री सतेन्द्र नाथ त्रिपाठी ......उप प्रभागीय वनाधिकारी............ सदस्य
3– श्री काशूराम वर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी.................. सदस्य / सचिव
4– श्री मन्जू देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र ...शामा.............. सदस्य

Sub Divisional Magistrate Kapkote (Bageshwar)

उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर

मन्जूदेवी सदस्य क्षेत्र पंचायत शामा वि0ख0-कपकोट (बागेश्वर)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड कपकोट जनपद-बागेश्वर

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठककी कार्यवाही प्रारम्भ की गई।माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि गाजीधूरा होते हुए डागती तक 6 किमी तक मोटर मार्ग के परियोजना हेतु 4.860 हे0 वन भूमि **लोक निर्माण विभाग कपकोट** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया।ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गई है।

[signature]
सदस्य जिला पंचायत
क्षेत्र :- शामा
वि0ख0:-कपकोट(बागेश्वर)

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी......बागेश्वर......अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराये कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अत प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कपकोट क्षेत्र के अन्तर्गत ....नानधुरा होते हुए डोंगती ....तक 6km मोटरमार्ग के परियोजना निर्माण हेतु 4.860 हे0 वनभूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड कपकोट
जनपद-बागेश्वर

Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील.......कपकोट
जनपद.......बागेश्वर

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी........................ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड कपकोट
जनपद-बागेश्वर

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील.......कपकोट
जनपद.......बागेश्वर

1.9

स्वामित्व / अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत कपकोट विकास खण्ड के अन्तर्गत शामा से रमाडी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधूरा होते हुए डॉगटी तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत कपकोट विकास खण्ड के अन्तर्गत शामा से रमाडी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधूरा होते हुए डॉगटी तक 6.00 किमी0 निर्माण में उत्पादित होने वाले मलवे के निस्तारण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त मार्ग के किमी0 01 हेक्टे० (4-6), 02 हेक्टे० (0-2), 03 हेक्टे० (8-10) 04 हेक्टे० (0-2) 05 हेक्टे० (6-8), Km 06 (2-4) में राज्य सरकार की भूमि मलवा एकत्रीकरण हेतु प्रस्तावित की गयी है। अतः जनहित में सडक के किनारे खडड् साईड में रिक्त भूमि पर दीवाल लगा कर मलवा एकत्रित करने में राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक :–

के. एन. गोस्वामी
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र शामा तिवारी
तह... कपकोट
जिला-बागेश्वर

Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)

तहसीलदार

परियोजना का नामः– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत कपकोट विकास खण्ड के अन्तर्गत शामा से रमाडी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधूरा होते हुए डॉगटी तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत कपकोट विकास खण्ड के अन्तर्गत शामा से रमाडी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधूरा होते हुए डॉगटी तक 6.00 किमी0 के निर्माण हेतु **4.860 हे0** वन भूमि **निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट** प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति **बागेश्वर** तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी
बागेश्वर
जिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नामः– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत कपकोट विकास खण्ड के अन्तर्गत शामा से रमाडी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधूरा होते हुए डॉगटी तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत कपकोट विकास खण्ड के अन्तर्गत शामा से रमाडी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधूरा होते हुए डॉगटी तक 6.00 किमी0 के निर्माण हेतु **4.860 हे0** वन भूमि निर्माण खण्ड, **लोक निर्माण विभाग कपकोट** (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

जिलाधिकारी
बागेश्वर
जिलाधिकारी
बागेश्वर

Form-1

(for liner project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwer

NO…………………… *Dated..20|09|2015*

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.860** heetares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Sama to Dagti via Gyandhura motor road_(Length 6.00) in Bageshwer** district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.860** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annuxer…..**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Govemment as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have givin their consent ti it;……**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers. No onjection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

Signature

Dated 20|09|2015

(Bhupal Singh Manral)

District Collector

Seal जिलाधिकारी बागेश्वर

(Full name and official seal of the District Collector

Form-II

(for liner project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwer

Dated 20/09/2015

NO……………………

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No-11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.860** heetares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Sama to Dagti via Gyandhura motor road (Length 6.00) in Bageshwer.**

It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.860** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure……..to annexure…….
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: **YES**
- The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of **Bari Panyali/Liti** Village (s) is enclosed as annexure……..
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: **YES**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: **NA**

Encl: As above

Bhupal Singh Manral
District Collector
Bageshwar
जिलाधिकारी
बागेश्वर

ANNEXURA-1

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district,constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 20/09/2015 at time 11:50.. pm at Bageshwar in which application claiming rights in **Bari Panyali/Liti** area measuring **4.860** hect for the **Construction of Sama to Dagti via Gyandhura motor road (Length 6.00) in Distt-Bageshwer** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Dated:

Deputy Commissioner Chairman
District Level Committe
जिलाधिकारी
बागेश्वर